फा. सं. 16015/1/2019-पीएमआई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 25th सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए माह अगस्त, 2020 के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को माह अगस्त, 2020 के संबंध में उर्वरक विभाग का मासिक सार एतदद्वारा सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जोहन तोपनो

(जोहन तोपनो)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23388064

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
3. सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. एनआईसी को उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

विषय: माह अगस्त, 2020 के संबंध में उर्वरक विभाग का मासिक सार।

1. माह के दौरान समग्र उत्पादन निष्पादन:

(आंकड़े 'लाख मी.टन' में)

उत्पाद का नाम	माह के दौरान उत्पादन	इस माह तक संचयी उत्पादन
यूरिया	22.04	104.22
डीएपी	3.12	15.78
अमोनियम सल्फेट (ए/एस)	0.70	2.63
मिश्रित उर्वरक	9.09	35.05
सिंगल सुपर फॉस्फेट	4.07	21.09

स्रोत : mfms.nic.in 07.09.2020 की स्थिति के अनुसार

2. माह के दौरान उर्वरकों की आकलित आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री:

(आंकड़े 'लाख मी.टन' में)

उत्पाद का नाम	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
यूरिया	32.85	76.36	40.13
डीएपी	9.48	46.73	9.23
एमओपी	3.84	14.98	3.04
मिश्रित	10.56	43.80	13.08

आंकड़ों का स्रोत डैशबोर्ड है।

3. माह के दौरान आयातित तैयार उर्वरकों का ब्यौरा:

उत्पाद का नाम	मात्रा 'लाख मी.टन' में
यूरिया	6.37
कृषि उपयोग हेतु एमओपी	5.88
डीएपी	10.64
एनपीके	2.51

4. एफसीआईएल/एचएफसीएल की बंद यूनिटों की माह अगस्त, 2020 के दौरान पुनरुद्धार की स्थिति:

(क) रामागुण्डम यूनिट का पुनरुद्धार:

i. परियोजना के विषय में:

मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2011 को आयोजित अपनी बैठक में नामित पीएसयूज के संयुक्त उद्यम का गठन करके 1.27 एमएमटीपीए क्षमता के गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना द्वारा नामांकन आधार पर एफसीआईएल की रामागुण्डम इकाई के पुनरुद्धार को अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) के रूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई थी। एनएफएल और ईआईएल प्रत्येक की इक्विटी 26% है और एफसीआईएल की इक्विटी 11% है। इसके अतिरिक्त, आरएफसीएल में तेलंगाना राज्य सरकार की इक्विटी 11%, गेल की 14.3% और एचटीएएस कंसोर्टियम की 11.7% इक्विटी है। सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में की जा रही मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा परियोजना गतिविधियों की गहन निगरानी की

जाती है। हाल की अंतिम मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 31.08.2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी।

ii. <u>वृद्धिशील प्रगति</u>:

क. जुलाई, 2020 तक समग्र प्रगति 99.65% है।
ख. अगस्त, 2020 के दौरान वृद्धिशील प्रगति 0.05% है।
ग. अगस्त, 2020 तक समग्र प्रगति 99.70% है।
इस समय यह परियोजना चालू किए जाने से पूर्व/चालू किए जाने के चरण में है।

(ख) तलचर यूनिट का पुनरुद्धार

i. <u>परियोजना के बारे में</u>

मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2011 को आयोजित अपनी बैठक में नामित पीएसयूज के संयुक्त उद्यम का गठन करके 1.27 एमएमटीपीए क्षमता वाले गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना द्वारा नामांकन आधार के माध्यम से एफसीआईएल की तलचर यूनिट के पुनरूद्धार को अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के रूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई थी। टीएफएल में गेल, आरसीएफ और सीआईएल प्रत्येक की इक्विटी 31.85% और एफसीआईएल की इक्विटी 4.45% है। टीएफएल संयंत्र कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित है। सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही मासिक समीक्षा बैठक के माध्यम से उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना गतिविधियों की गहन निगरानी की जा रही है। हाल की अंतिम मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 31.08.2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी।

ii. **वृद्धिशील प्रगति**:

कोयला गैसीकरण, अमोनिया-यूरिया, स्टीम जनरेशन, ऑफ-साइट एवं सुविधाओं और परियोजना पूर्व प्रगति सहित समग्र प्रगति का आकलन कर लिया गया है और यह निम्नलिखित है:-

क) जुलाई, 2020 तक परियोजना की समग्र प्रगति 4.9% है।
ख) अगस्त, 2020 के दौरान वृद्धिशील प्रगति 0.9% है।
ग) अगस्त, 2020 तक परियोजना की समग्र प्रगति 5.8% है।

iii. **अगस्त माह के दौरान उपलब्धियां हैं:-**

क. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 04.05.2020 के का.ज्ञा.के माध्यम से गृह मंत्रालय को यह सूचित कर दिया गया है कि व्यय विभाग के 'सामान्य वित्त नियमावली **(जीएफआरएस), 2017 के नियम 144(xi), दिनांक 23 जुलाई, 2020 के का.ज्ञा. के माध्यम से यथा संशोधित**, के अंतर्गत प्रतिबंधों की प्रयोज्यता से संबंधित 23.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर मेसर्स इंजी वुहान कं.लि, चीन के संबंध में गृह मंत्रालय से किसी और सुरक्षा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अत: मेसर्स वुहान इजी.कं.लि, चीन के संबंध में सुरक्षा स्वीकृति हेतु उर्वरक विभाग के दिनांक 04.05.2020 और दिनांक 17.08.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा गृह मंत्रालय को पहले भेजे गए अनुरोध को वापिस किया गया माना

जाए। इसी बीच, गृह मंत्रालय से कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.09.2020 प्राप्त किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि यह विदेशी नागरिक चीन के हैं अत: विदेश स्थित मिशन/केन्द्र वीजा देने के पहले ऑन- लाइन सुरक्षा स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को सूचित करेंगे।

ख) उर्वरक विभाग द्वारा विशेष रूप से टीएफएल के लिए यूरिया नीति तैयार करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

ग) टीएफएल परियोजना के सितम्बर, 2023 तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

(ग) <u>गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी यूनिटों का पुनरुद्धार:</u>

I <u>परियोजना के बारे में</u>

मंत्रिमंडल ने दिनांक 13.07.2016 को आयोजित अपनी बैठक में एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी यूनिटों तथा एचएफसीएल की बरौनी यूनिट का नामित पीएसयूज का एक संयुक्त उद्यम तैयार करके नामांकन आधार के माध्यम से पुनरुद्धार किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एचयूआरएल) के रूप में एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई थी। एनटीपीसी, आईओसीएल और सीआईएल प्रत्येक की इक्विटी 29.67% है जबकि एफसीआईएल के संबंध में यह 10.99% है। एचयूआरएल, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में 1.27 एमएमटीपीए क्षमता प्रत्येक की तीन गैस आधारित यूरिया विनिर्माण यूनिटों की स्थापना कर रहा है। सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना गतिविधियों की गहन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीईओ, नीति आयोग ने भी दिनांक 30.07.2020 को इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। हाल की अंतिम मसिक समीक्षा बैठक दिनांक 31.08.2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई।

ii. <u>वृद्धिशील प्रगति</u> :

<u>गोरखपुर परियोजना</u>

क. जुलाई, 2020 तक समग्र प्रगति 80.3% है।
ख. अगस्त, 2020 के दौरान वृद्धिशील प्रगति 1.2% है।
ग. अगस्त, 2020 तक समग्र प्रगति 81.5% है।

<u>बरौनी परियोजना</u>

क) जुलाई, 2020 तक समग्र प्रगति 72.9% है।
ख) अगस्त, 2020 के दौरान वृद्धिशील प्रगति 1.7% है।
ग) अगस्त, 2020 तक समग्र प्रगति 74.6% है।

<u>सिंदरी परियोजना</u>

क) जुलाई, 2020 तक समग्र प्रगति 74.2% है।
ख) अगस्त, 2020 के दौरान वृद्धिशील प्रगति 1.7% है।

ग) अगस्त, 2020 तक समग्र प्रगति 75.9% है।

iii. **<u>अगस्त माह के दौरान उपलब्धियां हैं:-</u>**

क. सभी तीनों परियोजनाओं के लिए सभी मुख्य दीर्घावधि मदों का ऑर्डर दे दिया गया है।

ख. एचयूआरएल परियोजना के संबंध में दिनांक 08.09.2020 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है कि एचयूआरएल को 1257.82 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण (गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी परियोजनाओं के लिए क्रमशः 422.28 करोड़ रुपये, 415.77 करोड़ रुपये और 419.77 करोड़ रुपये) के संवितरण के लिए उर्वरक विभाग और एचयूआरएल के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ग. इन परियोजनाओं द्वारा 2021 तक उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है।

****